

## कार्यकारी सार

### 1. प्रस्तावना

लोक ऋण राष्ट्र के संपूर्ण उपक्रमों द्वारा उठाया गया कुल वित्तीय दायित्व है जिसमें प्रत्याभूति एवं अंतर्निहित ऋण सम्मिलित हैं। लोक ऋण में केन्द्र, राज्य, नगरपालिका, या स्थानीय सरकार अथवा सरकारी स्वामित्व या नियंत्रित उपक्रम; एवं सार्वजनिक या अर्द्ध सार्वजनिक समझे जाने वाली अन्य इकाईयों के द्वारा जारी एक विधिक साधन के द्वारा प्रमाणित दायित्व सम्मिलित होंगे। लोक ऋण प्रबंधन, लोक ऋण का प्रबंधन करने हेतु एक पद्धति को स्थापित तथा कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है ताकि वांछित जोखिम एवं लागत स्तर पर निधिकरण की अपेक्षित राशि की व्यवस्था की जा सके।

भारत अन्य विकासशील देशों की तरह, अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के साथ अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाओं का विस्तार भी चाहता है। इससे देश पर अत्यधिक वित्तपोषण की आवश्यकता बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप गैर-ऋण प्राप्ति से अधिक खर्च होता है, जिसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा उधारी द्वारा पूरा किया जाता है जो देश के बकाया ऋण स्टॉक को बढ़ाता है। यह कमी या तो भारत की समेकित निधि की प्रतिभूति पर अनुबंधित किये गए आन्तरिक व विदेशी ऋण द्वारा या लोक लेखा में अतिरिक्त निधि द्वारा पूरी की जाती है। बजट दस्तावेज में आन्तरिक ऋण तथा विदेशी ऋण दोनों को 'लोक ऋण' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

आंतरिक ऋण, जिसमें विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ (डेटेड प्रतिभूतियाँ, खजाना बिल) एवं गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ (14 दिनों के मध्यवर्ती टी-बिल, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध-पत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों आदि को जारी की गई प्रतिभूतियाँ) रूपये डिनॉमिनेटेड ऋण हैं।

विदेशी ऋण से तात्पर्य है गैर स्वदेशी स्रोतों से संघ सरकार द्वारा एकत्रित किये गये ऋण। भारत के अधिकतर विदेशी ऋण बहुपक्षीय संस्थानों से हैं जैसेकि इंटरनैशनल बैंक फॉर रीकन्सट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आई बी आर डी), इंटरनैशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आई डी ए), एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए डी बी) आदि। इसके अतिरिक्त, द्विपक्षीय स्रोतों अर्थात् सीधे विदेशों से भी विदेशी ऋण अनुबंधित किया गया है।

भारत में, लोक ऋण प्रबंधन का कार्य आन्तरिक ऋण के संदर्भ में वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के आर्थिक मामला विभाग (डी ई ए) के बजट डिवीजन के साथ रिजर्व बैंक (आर बी आई) के आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग (आई डी एम डी) के द्वारा किया जाता है। विदेशी ऋण के संदर्भ में डी ई ए के विभिन्न डिवीजन जैसे बहुपक्षीय संबंध (एम आर), द्विपक्षीय सहयोग (बी सी) तथा बहुपक्षीय संस्थान (एम आई) ऋण प्रबंधन का कार्य करते हैं। उन्हें सहायता, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक (सी ए ए) द्वारा सहयोग दिया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आंतरिक व विदेशी ऋण दोनों के लिए लेखा तैयार करता है।

लोक ऋण संघ सरकार की प्राप्तियों का महत्वपूर्ण भाग था, इसलिए लोक ऋण प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। और इस प्रकार की लेखापरीक्षा नीति निर्माताओं को लोक ऋण के जोखिम को समझने, उनके संचालनों को अधिक प्रभावी बनाने, आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता को बढ़ाने एवं लोक ऋण की पारदर्शिता व उत्तरदायित्वों को बढ़ाने में भी सहायक होगी। इसके अतिरिक्त विश्वभर में ऋण संकटों की बारंबारता एवं गंभीरता होने से तथा सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन पर उसका परिणामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से विश्वसनीय ऋण देने एवं उधार लेने के व्यवहारों को बढ़ाने की आवश्यकता को प्रबलित करता है।

31 मार्च 2015 को भारत का कुल बकाया लोक ऋण ₹ 51,04,675 करोड़ था जिसमें से ₹ 47,38,291 करोड़ (92.82 प्रतिशत) आंतरिक ऋण था ₹ 3,66,384 करोड़ (7.18 प्रतिशत) विदेशी ऋण था। मूलधन के पुनर्भुगतान एवं अनुबंधित ऋण के ब्याज के भुगतान को एक साथ ऋण शोधन कहा गया है। 2014-15 में, दीर्घावधि के आंतरिक उधारों के 77 प्रतिशत तथा विदेशी उधारों के 73 प्रतिशत का उपयोग ऋण शोधन के लिए किया गया था जिसका तात्पर्य है कि ऋण शोधन के लिए ऋण के अधिक प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा था जिससे अभिप्राय यह था कि विकास को बढ़ाने के लिए विकासात्मक व्यय की पूर्ति हेतु लिए गए ऋण का कम प्रतिशत उपलब्ध था जो ऋण का अनुबंध करने के कारणों में से एक है।

(अध्याय-1)

## 2. विधिक संरचना

विधिक संरचना रणनीतिक दिशा देती है, शक्तियों को परिभाषित एवं स्पष्ट करती है लोक ऋण प्रबंधन में दक्षता एवं संचालनात्मक केन्द्र का समर्थन करती है एवं सरकार की ऋण देयताओं को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायित्वों को स्थापित करके सुशासन को बढ़ावा देती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रचलन के अनुसार लोक ऋण प्रबंधन की विधिक संरचना में संसद द्वारा कार्यपालिका को और ऋण प्रबंधन इकाई को उधार लेने के लिए अधिकार उपलब्ध करवाना चाहिए, इसमें उधार लेने के उद्देश्य और ऋण प्रयोजन सम्मिलित होने चाहिए, साथ ही ऋण प्रबंधन रणनीति बनाने की जरूरत और कार्यपालिका के संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को बताना चाहिए।

भारत में लोक ऋण प्रबंधन के लिए विद्यमान विधिक संरचना, भारत के संविधान तथा विभिन्न प्राथमिक और द्वितीयक विधानों जैसे कि आर बी आई अधिनियम, 1934, लोक ऋण अधिनियम, 1944, एफ आर बी एम अधिनियम, 2003, एफ आर बी एम नियम, 2004, सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिनियम, 2006 इत्यादि में समाविष्ट है। विद्यमान विधिक संरचना 'लोक ऋण' शब्द को परिभाषित नहीं करती, लोक ऋण के उद्देश्यों और उधार लेने के उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करती, और इसमें एक ऋण प्रबंधन रणनीति के सूत्रीकरण की आवश्यकता भी नहीं है।

(पैरा 2.3.1 एवं 2.3.2)

एफ आर बी एम नियम, 2004 के नियम 3 (4) के अनुसार 2013-14 में या उसके पश्चात् कोई अतिरिक्त देयताएं ग्रहण नहीं की जा सकती थी। यह प्रावधान एफ आर बी एम नियम, 2004 के नियम 3(2) में दिये गए जी डी पी के 3 प्रतिशत के राजकोषीय लक्ष्य से भिन्न था।

(पैरा 2.4)

### 3. संगठनात्मक संरचना

अनेक विशेषज्ञ कमेटियों ने पिछले दो दशकों से एक पृथक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पी डी एम ए) को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। यद्यपि पी डी एम ए का गठन नहीं किया गया, फिर भी सितम्बर 2008 में एक अलग मध्य कार्यालय (एम ओ) की स्थापना की गई। उसके बाद आज तक पृथक पी डी एम ए के गठन में कोई प्रगति नहीं हुई।

मध्य कार्यालय के उत्तरदायित्वों में अन्य चीजों के साथ सम्मिलित है – व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना का निरूपण, दीर्घावधि ऋण प्रबंधन नीति का निरूपण और सरकारी देयताओं पर एक केन्द्रीकृत डाटाबेस का विकास एवं अनुरक्षण। हालाँकि, ये गतिविधियाँ एम ओ के द्वारा निष्पादित नहीं की गई थीं। जबकि इनमें से कुछ कार्य अन्य अभिकरणों द्वारा किए जा रहे थे।

(पैरा 3.2 एवं 3.4)

विदेशी ऋण (द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय) के सदर्थ में मध्य कार्यालय के कार्य नामतः पोर्टफोलियो संबंधित जोखिमों पर जोखिम विश्लेषण तथा निगरानी प्रतिवेदन का उत्तरदायित्व तथा किसी रणनीतिक लक्ष्य/बेंचमार्क के विरुद्ध ऋण प्रबंधक के निष्पादन का आकलन किसी भी इकाई द्वारा निष्पादित नहीं किये जा रहे थे।

(पैरा 3.3)

### 4. ऋण प्रबंधन रणनीति

एक ऋण प्रबंधन रणनीति वह नीति है जो ऋण प्रबंधन उद्देश्यों का परिचालन करती है। यह लोक ऋण विभाग की वांछित संरचना को तैयार करता है जो लागत जोखिम के संतुलन में सरकार की वरीयता को अभिग्रहित करता है।

डी ई ए ने पहली बार मध्य अवधि ऋण रणनीति (एम टी डी एस) दिसम्बर 2015 में बनाई जिसमें जोखिम विश्लेषण एवं स्ट्रेस टेस्ट शामिल थी लेकिन उसका कार्यक्षेत्र केवल संघ सरकार के विपणन योग्य ऋण तक सीमित था। इससे पूर्व नगदी एवं ऋण प्रबंधन के निगरानी समूह (एम जी सी डी एम) की बैठकों में ऋण प्रबंधन रणनीति के कुछ घटकों पर चर्चा की जाती थी लेकिन एम टी डी एस नहीं बनाई जा सकी थी।

(पैरा 4.2)

## 5. उधार गतिविधियाँ

उधार-ग्रहण गतिविधियों में या तो घरेलू बाजारों से या बाहरी बाजारों से आवश्यक अभिग्रहण के अनुमान से लेकर धन के वास्तविक अभिग्रहण तक की सभी गतिविधियों पर विचार किया जाता है।

बजट प्रभाग, डी ई ए, एम ओ एफ, आर बी आई, सी ए ए ए तथा अन्य विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर आंतरिक अभिग्रहणों, बाहरी अभिग्रहणों तथा अन्य प्राप्तियों के सम्बंध में बजट अनुमान (बी ई) तथा संशोधित अनुमान (आर ई) तैयार करने के लिए जिम्मेवार होता है।

बाजार अभिग्रहण के अनुमान, नकदी इनपुटों, नकदी आऊटपुटों और संघीय सरकार के निधि अन्तराल के आधार पर बाजार अभिग्रहणों हेतु हर छःमाही अभिग्रहण कैलेण्डर बनाया जाता है। अभिग्रहण कैलेण्डर ने साप्ताहिक मुख्य नीलामियों द्वारा जारी की जाने वाली और नकद और ऋण प्रबंधन पर निगरानी समूह (एम जी सी डी एम) की स्वीकृति से जारी की गई प्रतिभूतियों का मूल्य दर्शाया जाता है।

2009-10 से 2014-15 की अवधि के दौरान, बजट के अनुसार वास्तविक विदेशी उधार एवं विदेशी उधार के संशोधित आंकड़ों के बीच अंतर (-) 33 प्रतिशत एवं 225 प्रतिशत के बीच था।

(पैरा 5.3)

सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी आर बी आई द्वारा ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर की जाती थी। भारत में सरकारी प्रतिभूति बाजारों में प्राथमिक डीलरों (पी डी) के तंत्र के माध्यम से बाजार ऋणदान हेतु अंडरराइटिंग प्रणाली संचालित थी। आर बी आई में नीलामी कमेटी कट ऑफ कीमत/प्रतिफल एवं प्रतिभूतियाँ, यदि कोई, का अंडराइटर पर डिवाॅल्व करने का निर्णय लेती थी।

ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए कोई मापदंड नहीं थे जिसमें प्रतिभूतियाँ अंडरराइटर पर डिवाॅल्व की जानी थी। कट ऑफ दर अथवा एक विशिष्ट कट ऑफ दर पर निर्णय लेने के लिए कारणों पर भी कोई मापदंड नहीं थे। बाद में आर बी आई ने सूचित किया (मई 2016) की डिवाॅल्वमेंट मापदंड पर एक नीति बना ली गई है जिसमें अन्य बातों के साथ डिवाॅल्वमेंट निर्णय पर पहुँचने के लिए विचारणीय मामले समाहित हैं।

(पैरा 5.2)

विदेशी उधार के सम्बंध में डब्ल्यू बी, ए डी बी तथा आई एफ ए डी के समक्ष परियोजना प्रस्तुत करने के लिए डी ई ए नोडल एजेंसी है। विदेशी सहायता के लिए डब्ल्यू बी, ए डी बी एवं आई एफ ए डी को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का निर्णय अगस्त 2009 में गठित की गई जाँच समिति द्वारा लिया जाता था।

'फाइनेंस प्लस' मापदंड उपलब्ध सीमित विदेशी संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (एम एफ आई)/बहुपक्षीय विकास बैंको (एम डी बी) के ज्ञान आधार, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एवं श्रेष्ठ प्रथाओं की सुविज्ञता की पहुँच अधिकतम करने तथा इसका लाभ उठाने के लिए संस्थापित किये गए थे (सितम्बर 2011)। विदेशी ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए जाँच समिति द्वारा सितम्बर 2011 से कुल 82 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। लेकिन अनुमोदित प्रस्तावों में से 60 में,

जाँच समिति के कार्यवृत्त यह नहीं दर्शाते कि ज्ञान हस्तांतरण, तकनीकी हस्तांतरण एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के हस्तांतरण पर विचार किया गया था।

(पैरा 5.4)

आर बी आई को भारत सरकार के नकदी प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है, जिसे वे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के साथ तालमेल द्वारा पूर्ण करते हैं। नकदी प्रबंधन में मुख्यतः नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना, अस्थायी तरलता की व्यवस्था करना, सरकार के खाते में लक्षित शेष राशि बनाये रखना, लक्षित शेष राशि से अधिक व बची हुई राशि का बाजार इत्यादि में निवेश करना सम्मिलित है।

सरकार के खाते में आगम और निर्गम के बीच के अंतर को नकदी प्रबंधन साधनों जैसे कि खजाना बिल द्वारा संतुलित किया जाता है और आगे अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्ट और नकदी प्रबंधन बिलों को जारी कर सूक्ष्मता से सन्तुलित किया जाता है। अर्थोपाय अग्रिमों (डब्ल्यू एम ए), आर बी आई द्वारा सरकार को दिए गए अग्रिम होते हैं। डब्ल्यू एम ए पर सीमाएं अर्ध-वार्षिक आधार पर निश्चित की जाती हैं। ओवर ड्राफ्ट (ओ डी), डब्ल्यू एम ए के समरूप है और जब डब्ल्यू एम ए की सीमा पार हो जाती है तब ओ डी को अन्तिम उपाय के रूप में एक बार में अधिकतम 10 दिनों के लिए प्राप्त किया जा सकता है।

2010 से 2015 की समयावधि के दौरान प्रत्येक साल में कम से कम 40 सप्ताहों में साप्ताहिक पूर्वानुमानित नकदी शेष और वास्तविक नकदी शेष में ₹ 10,000 करोड़ से ज्यादा का अन्तर था। बहुत से मामलों में, साप्ताहिक नकदी शेष का पूर्वानुमान ऋणात्मक था।

(पैरा 5.5.1)

सरकार की अस्थायी नकद प्रवाह भिन्नताओं को दूर करने के लिए 2009 में नकद प्रबंधन बिल (सी एम बी) प्रारम्भ हुए। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अगस्त तथा सितम्बर 2013 के दौरान, ₹ 96,000 करोड़ के नकद प्रबंधन बिल जारी किये गये।

(पैरा 5.5.2.1)

## 6. ऋण सूचना प्रणाली, ऋण शोधन और ऋण प्रतिवेदन

उचित सुरक्षा उपायों से युक्त एक सटीक एवं व्यापक सूचना प्रणाली को ऋण प्रबंधन गतिविधियों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। सूचना प्रणाली में ऐसे घटक सम्मिलित होने चाहिए जो देश की ऋण सूचना का अभिलेखन, निगरानी, विश्लेषण तथा प्रतिवेदन करते हों। एक लोक ऋण सूचना व्यवस्था को रिकार्डिंग, प्रतिवेदन तथा विश्लेषणात्मक कार्यों की सहायता करनी चाहिए।

आन्तरिक ऋण के लिए आर बी आई डेटेड प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की प्राथमिक बोलियों, ऋण शोधन भुगतानों और विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करने के लिए ई-कुबेर का प्रयोग करता है। विदेशी ऋण के संबंध में, प्रत्येक कर्ज/अनुदान से संबंधित विभिन्न लैजर और रजिस्ट्रों के रख-रखाव के लिए, ऋण शोधन और विभिन्न प्रतिवेदन तैयार करने के लिए इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटराईज्ड सिस्टम (आई सी एस) का उपयोग करता है। ई-कुबेर और आई सी एस में विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए व्यवस्था नहीं थी।

(पैरा 6.1.1)

सरकार की सभी आन्तरिक और विदेशी देयताओं पर एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस उपलब्ध नहीं था। यद्यपि, आन्तरिक ऋण और विदेशी ऋण के बारे में सूचना क्रमशः आर बी आई और कार्यालय नियंत्रक सहायता, लेखापरीक्षा और लेखा में उपलब्ध थी।

(पैरा 6.1.3)

अनाहरित शेष पर प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान बाद की तिथियों में आहरित किये जाने वाली पुनर्निर्धारित मूल की राशि पर किया गया। 2009–10 से 2014–15 की अवधि के दौरान, ₹ 602.66 करोड़ की प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान किया गया।

(पैरा 6.2.1)

स्टेटस पेपर एवं भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी जैसे विभिन्न दस्तावेजों में प्रस्तुत किये गए आंतरिक ऋण के आँकड़े भारत सरकार के वित्त लेखों में प्रस्तुत किये गए आँकड़ों से मेल नहीं खाते थे।

(पैरा 6.3.2)

## 7. सरकारी प्रतिभूति बाजार

लोक ऋण प्रबन्धन के उद्देश्यों में से एक तरल बाजार का विकास है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऋण लागत प्रभावी ढंग से प्राप्त किया गया, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक तरल एवं जीवन्त द्वितीयक बाजार का विकास और निवेशक आधार का विस्तार मुख्य कारक हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूति बाजार बेंचमार्क प्रतिफल उपलब्ध करवाता है, और अन्य वित्तीय बाजारों को तरलता प्रदान करते हैं और विशेष रूप से, एक सामूहिक ऋण बाजार के विकास के लिए एक प्रारम्भिक आवश्यकता माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी प्रतिभूति बाजार घरेलू वित्तीय बाजार के विभिन्न खण्डों के एकीकरण के लिए एक माध्यम के रूप में काम करते हैं और घरेलू एवं विदेशी बाजारों के बीच अन्तर सम्बन्ध स्थापित करने में सहायता करते हैं।

द्वितीयक बाजार में डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार मुख्यतः कुछ ही प्रतिभूतियों में हो रहा था और सरकारी प्रतिभूतियों में 90 प्रतिशत से अधिक की मात्रा में व्यापार शीर्ष दस प्रतिभूतियों में हो रहा था।

(पैरा 7.3)

छोटे एवं मध्यम निवेशकों की प्राथमिक नीलामी में हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांकित प्रतिभूतियों की निर्दिष्ट नीलामी में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत के आवंटन हेतु गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की एक योजना जनवरी 2012 में प्रारंभ की गई थी। तथापि, 2009 से 2015 तक के दौरान छोटे तथा मध्यम निवेशकों से प्राप्त एवं स्वीकृत नीलामी की कुल राशि अधिसूचित राशि के 0.30 प्रतिशत से 0.47 प्रतिशत के बीच थी।

(पैरा 7.4)

## 8. अनुशासक

- विधिक संरचना में, जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक विधान दोनों शामिल हैं, लोक ऋण की परिभाषा, ऋण प्रबंधन के उद्देश्यों, उधार के प्रयोजनों तथा ऋण प्रबंधन रणनीति की आवश्यकता को शामिल किया जा सकता है। डी ई ए चरणों में इसे करने का विचार करें।
- 'फाइनेंस प्लस' मापदण्ड की शर्त बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान/बहुपक्षीय विकास बैंक के ज्ञान आधार, अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव तथा श्रेष्ठ प्रथाओं के साथ परिचय की पहुंच को अधिकतम करने और इसका लाभ उठाने को बाह्य सहायता के लिए परियोजनाओं के निर्धारण पर लागू किया जाए तथा इसे विधिवत दस्तावेज के रूप से रखा जाना चाहिए।
- आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताओं का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस विकसित किया जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि लोक ऋण सूचना व्यवस्था (ई कुबेर और आई सी एस) विश्लेषणात्मक कार्यों में सहायता प्रदान करें।
- आर बी आई और डी ई ए एवं डी ई ए के विभिन्न प्रभागों द्वारा लोक ऋण की रिपोर्टिंग में निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित किया जाए।